



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937

No. 225]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.280 (अ).-केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-

- (i) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियमावली, 2015 है।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में नियम 11 में
(क) उप-नियम (1) में "पांच हजार रुपए" के लिए "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उप-नियम (2) में "एक हजार रुपए" के लिए "पांच हजार रुपए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 11017/31/1999-अ.भा.से.-III]

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(I) में सा.का.नि.3 दिनांक 4 जनवरी, 1969 के तहत प्रकाशित तथा तदन्तर संशोधित किए गए थे।

- (i) सा.का.नि. 878, दिनांक 6 जून, 1970
- (ii) सा.का.नि. 417, दिनांक 23 जुलाई, 1971
- (iii) सा.का.नि. 405, दिनांक 7 अप्रैल, 1973
- (iv) सा.का.नि. 834, दिनांक 10 अगस्त, 1974
- (v) सा.का.नि. 1017, दिनांक 17 जुलाई, 1976
- (vi) सा.का.नि. 1766, दिनांक 25 दिसम्बर, 1976
- (vii) सा.का.नि. 678, दिनांक 4 जून, 1977
- (viii) सा.का.नि. 1717, दिनांक 31 दिसम्बर, 1977
- (ix) सा.का.नि. 151, दिनांक 28 जनवरी, 1978
- (x) सा.का.नि. 583, दिनांक 6 मई, 1978
- (xi) सा.का.नि. 1122, दिनांक 8 सितम्बर, 1979
- (xii) सा.का.नि. 1103, दिनांक 25 अक्तूबर, 1980
- (xiii) सा.का.नि. 1134, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
- (xiv) सा.का.नि. 1009, दिनांक 2 नवम्बर, 1985
- (xv) सा.का.नि. 34, दिनांक 17 जनवरी, 1987
- (xvi) सा.का.नि. 189
- (xvii) सा.का.नि. 657, दिनांक 2 अगस्त, 1988
- (xviii) सा.का.नि. 52, दिनांक 4 फरवरी, 1995
- (xix) सा.का.नि. 228, दिनांक 28 नवम्बर, 1998
- (xx) सा.का.नि. 363, दिनांक 5 मई, 2011
- (xxi) सा.का.नि. 573(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2014.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Conduct) Rules, 1968, namely:—

1. (i) These rules may be called the All India Services (Conduct) Amendment Rules, 2015.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the All India Service (Conduct) Rules, 1968, in rule 11, -
 - (a) in sub-rule (1) for the words “rupees five thousand”, the words “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2) for the words “rupees one thousand”, the words “ five thousand rupees” shall be substituted;

[F.No.11017/31/1999-AIS-III]

DIWAKAR NATH MISRA, Director (Services)